जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनॉक 25-07-2021

आज दिनांक 25.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 499/21 धारा 363/366/506 भा0द0वि0 व धारा 3(ii)(V) एससी/एसटी एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता अमित पुत्र जनक निवासी उसकाकला थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा दिनांक 23.07.2021 थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 24.07.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अपहृता को बरामद किया गया तथा उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 25.07.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमित चतुर्वेदी मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 2548 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>2548</u> को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत पडोखर से इवेन्ट संख्या 06247 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक महिला के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 09 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर घटना में घायल महिला को अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 अरविन्द कुमार, आ0 राजभान यादव, हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 52 वाहनो से 39500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 52 वाहनो से 39500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।